B-34 4
L-39
Polity

पैरोल / फर्लो

- हाल ही में पैरोल और फर्लो को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं।
- यह उल्लेखनीय है कि जेल का विषय राज्यसूची में शामिल होता है इसलिए राज्य सरकारों के द्वारा पैरोल / फर्लो के नियम बनाये जाते हैं।
- जिसके दुरुपयोग की शिकायते बार-बार की जाति है।

पैरोल की विशेषता / अभिप्राय निम्नलिखित है :-

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- यह कैदी का अधिकार नही है
- छोटे समय के लिए दण्डित व्यक्ति को पैरोल दिया जाता है।
- सामान्यत: पैरोल 1 महीने तक के लिए दिया जा सकता है और इसे कई बार दिया जा सकता है।
- जितने दिन कोई कैदी कोई पैरोल प्राप्त करता है यह उस व्यक्ति को प्राप्त सजा में कम नही किया जाता।
- पैरोल देने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए जैसे किसी का परिजन बीमार हो, शादी हो या कोई परीक्षा हो।

फर्लो

- यह कैदी का अधिकार होता है जो लम्बे समय के सजा में दिया जाता है जैसे आजीवन कारावास।
- यह अधिकतम 14 दिन के लिए दिया जा सकता है।
- इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नही होती और कैदी के द्वारा फर्लो के अन्तर्गत जो समय बिताया जाता है उसे सजा में ही गिना जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

संघीय शासन (Fedral Government)

प्रधानमंत्री
- एक
- ↓
- 28 राज्य → संघ
  - विधि
  - निर्माण
  - करारोपण
  - प्रशासन

मुख्यमंत्री
- 28 राज्य
- ↓ CM
- जनपद
- जिला
  - विधि निर्माण
  - करारोपण
  - प्रशासन

इंग्लैण्ड
- (i) PM
- (ii) जनपद
- (iii) काउन्टी

भारत में संघीय शासन अपनाने के कारण

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

संघीय शासन का दर्शन

- भारतीय समाज न केवल सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है अपितु यह सर्वाधिक विविधतापूर्ण भी है इसी बहुलता व विविधता के संरक्षण के लिए संघीय शासन अपनाया गया।
- संघीय शासन के ही द्वारा भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय एकता अखण्डता का समन्वय किया गया।
- संघीय शासन के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन का विकेन्द्रीकरण किया जाता है और 28 राज्य केवल पृथक प्रशासनिक और भौगोलिक इकाईयां नहीं हैं।

अपितु एक सांस्कृतिक इकाई भी है।
भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एकता का आशय एकता समाप्त करना नहीं है अपितु विविधताओं को एकता के धागे से बांधे रखना है।

संघीय शासन प्रशासनिक ढाँचे के रूप में

- भारत में प्रशासन के संचारण का मूलभूत दस्तावेज संविधान है जिसकी 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

- इसी शक्ति विभाजन के अनुसार शक्ति की साझेदारी (Saving of Power) निर्मित की गयी है क्योंकि भारत के भू-भाग में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की समानांतर शक्तियाँ विद्यमान है, क्योंकि संघीय शासन में दोनों एक दूसरे के समकक्ष और स्वायत्त हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है।

- संघीय शासन में शक्ति विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए लिखित संविधान का प्रावधान है।

- जहाँ भी शक्ति का विभाजन होगा वहाँ संघ और राज्य के बीच अथवा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद होना भी संभव है जिनके समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय का भी प्रावधान किया गया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR